

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

क्रमांक

24 / करोली 2000-2001

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीलक्ष्मी शिक्षा समाज मण्डल

जिला करोली का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन

अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन

आज किया गया। यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 25/12/2000

माह जुलाई सन् दो हजार को करोली में दिया।

राजस्थान संस्थाएं
जिला करोली

राजस्थान संस्थाएं
जिला करोली